

जिला परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा (माध्यमिक), जिला- जांजगीर-चांपा

स्वामी विवेकानंद मार्ग, मेनरोड जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) e-mail- rmsa.janjgir@gmail.com

--: स्पेशल एजुकेटर हेतु विज्ञापन ::--

क्रमांक / 145/समा.शि./2023-24

जांजगीर, दिनांक 16/08/2023

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिला जांजगीर-चांपा के विज्ञापन क्रमांक/108/समा.शि./2022-23 जांजगीर, दिनांक 22/07/2022 के द्वारा विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर रखे जाने हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे, भर्ती हेतु जारी मेरिट सूची से चयन उपरांत एवं प्रतियोगिता सूची से चयन उपरांत शेष बचे बैकलॉग पदों पर स्पेशल एजुकेटर रखा जाना है तथा राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्र./1880/समग्र शिक्षा/माध्य./24-14/2023-24 रायपुर, दिनांक 14.07.2023 के द्वारा स्पेशल एजुकेटर के 01 नवीन पद की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तदनुक्रम में जिला जांजगीर-चांपा में स्पेशल एजुकेटर पद पर कार्य करने हेतु पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक से दिनांक 31/08/2023 सायं 05:00 बजे तक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, स्वामी विवेकानंद मार्ग, मेनरोड जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन कोड-495668 के पते पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

--: बैकलॉग पदों का विवरण ::--

क्र.	पद का नाम	पद संख्या								योग	निश्चित मानदेय
		अना		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.			
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	स्पेशल एजुकेटर	0	0	0	0	0	0	1	1	2	20000

--: नवीन स्वीकृत पदों का विवरण ::--

क्र.	पद का नाम	पद संख्या								योग	निश्चित मानदेय
		अना		अ.पि.व.		अ.जा.		अ.ज.जा.			
		मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
1	स्पेशल एजुकेटर	1	0	0	0	0	0	0	0	1	20000

1) **शैक्षणिक अर्हताएं** :-स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।

2) **नियम एवं शर्तें**:-

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और बगैर पूर्व सूचना के सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियति तिथि तक कर्तव्य स्थल में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
6. आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डॉक के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे तथा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेना/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
8. उक्त पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय रू. 20000/- (अक्षरी-बीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
9. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना आवश्यक है।
10. अभ्यर्थी, किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लेवें त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी को भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। केवल आवेदन कर देने मात्र से ही अभ्यर्थी का आवेदित पद पर चयन का अधिकार नहीं होगा।
11. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
12. अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सेनिकों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटों को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


3) चयन प्रक्रिया:-

1. स्नातकोत्तर एवं बी. एड. (विशेष शिक्षा) / बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा के भारांश के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार अंतिम चयन हेतु मेरिट सूची तैयार की जावेगी -

क्र	शैक्षणिक योग्यता (स्नातकोत्तर) का अंक भार	व्यवसायिक योग्यता		कुल अंक भार
		बी.एड. (विशेष शिक्षा) होने की स्थिति में	बी.एड. (सामान्य शिक्षा) के साथ 2 साल का डिप्लोमा होने की स्थिति में	
1	60%	40% बी.एड. (विशेष शिक्षा) का	40% (2 साल के डिप्लोमा का)	100%

2. स्वीकृत पदों के विरुद्ध जातिवार/वर्गवार अधिकतम 05 गुना तक, अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्रों की जाँच/सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।
3. अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को चयन हेतु अपात्र किया जा सकेगा।


4. पदस्थापना हेतु कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा एवं पदस्थापना हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।


जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक /146/समा.शि./2023-24
प्रतिलिपि,

जांजगीर, दिनांक 16/08/2023

1. प्रबंध संचालक राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जन संपर्क अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
5. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जांजगीर को सूचनार्थ एवं जिले के पोर्टल <https://janjgir-champa.gov.in> पर अपलोड किये जाने हेतु ।


जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

--: स्पेशल एजुकेटर पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :-

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्मतिथि :-/...../..... शब्दों में
आयु दिनांक 01/01/2023 की स्थिति में :- दिन माहवर्ष
4. लिंग पुरुष/महिला :-
5. जाति :- जाति प्रमाण पत्र संलग्न हॉ/नहीं
6. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :-
7. शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता का विवरण, जो कि अनिवार्य अर्हता में चाहा गया है-

हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो स्वयं से सत्यापित कर चस्पा करें।

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	अध्ययन का माध्यम
1	10वीं							
2	12वीं							
3	स्नातक							
4	स्नातकोत्तर							
5	बी.एड. (विशेष शिक्षा)							
6	बी.एड. (सामान्य शिक्षा) होने की स्थिति में विशेष शिक्षा के साथ 2 साल के डिप्लोमा का विवरण							

8. क्या आपके पास आवेदित पत्र के लिये शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यताएं है हॉ/नहीं :-

9. पत्र व्यवहार का पूरा पता :-

.....
.....

जिला पिन कोड

मोबाईल नं. :-

आवेदक का हस्ताक्षर

10. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1. आयु के सत्यापन के संबंध में 10वीं/अन्य की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. आयु में छुट संबंधी दस्तावेज (यदि लागू हो)
6. अन्य आवश्यक दस्तावेज

-:: प्रमाण पत्र ::-

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता/योग्यता रखता/रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम